भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 870
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2026 को दिया जाना है ।
17 माघ, 1947 (शक)

सरकारी अधिकारियों द्वारा विदेशी एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाना

870 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी अधिकारियों द्वारा दस्तावेज़ सारांश या नीति मसौदे जैसे सरकारी कार्यों के लिए विदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्लेटफॉर्म के उपयोग से होने वाले जोखिमों का आकलन किया है;
(ख) क्या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील या आंतरिक सरकारी डेटा के सामने आने के किसी मामले की पहचान की गई है, यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और
(ग) क्या सरकार लोक सेवकों द्वारा जेनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग को लेकर दिशानिर्देश या प्रतिबंध जारी करने का प्रस्ताव रखती है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): भारत की एआई कार्यनीति प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत केंद्रित चुनौतियों का समाधान करना और अवसर सृजित करना है।

सरकार सरकारी अधिकारियों द्वारा जनरेटिव एआई के उपयोग से जुड़े जोखिमों से अवगत है। किसी भी एआई उपकरण या आईटी उत्पादों का उपयोग करने वाले सरकारी अधिकारी आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन हैं।

इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने एआई उपकरणों के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय प्रदान करने वाले दिशानिर्देश जारी किए हैं:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित अनुप्रयोगों से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल खतरों को कम करने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों पर परामर्शी निदेश मई 2023 में प्रकाशित किए गए थे।
- सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (सीएसपीएआई) प्रोग्राम सितंबर 2024 में सर्ट-इन और एसआईएसए द्वारा लॉन्च किया गया।
- जनरेटिव एआई समाधानों के प्रभावी और जिम्मेदार उपयोग के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को दर्शाने वाले परामर्शी निदेश मार्च 2025 में प्रकाशित किए गए थे।
- सीएसपीएआई कार्यक्रम साइबर सुरक्षा पेशेवरों को एआई सिस्टम को सुरक्षित करने, एआई से संबंधित खतरों को सक्रिय रूप से संबोधित करने और व्यावसायिक वातावरण में भरोसेमंद एआई परिनियोजन सुनिश्चित करने के कौशल से लैस करता है।

- सर्ट-इन ने जून 2023 में सरकारी संस्थाओं के लिए सूचना सुरक्षा पद्धतियों पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें डेटा सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, पहचान और पहुंच प्रबंधन, एप्लिकेशन सुरक्षा, तृतीय-पक्ष आउटसोर्सिंग, सख्त प्रक्रियाएं, सुरक्षा निगरानी, घटना प्रबंधन और सुरक्षा ऑडिटिंग जैसे डोमेन शामिल हैं।
- साइबर सुरक्षा की स्थिति और सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की तैयारियों के आकलन के लिए सर्ट-इन द्वारा साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं ।
- सरकारी, सार्वजनिक और निजी संगठनों में साइबर सुरक्षा कार्यबल को कौशल प्रदान करने के लिए उद्योग भागीदारों के सहयोग से सर्ट-इन द्वारा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2024 और 2025 के दौरान क्रमशः 12014 और 20799 प्रतिभागियों को कवर करते हुए 23 और 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- सर्ट-इन ने एएनएसएसआई की फरवरी 2025 की रिपोर्ट "साइबर जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से एआई में विश्वास का निर्माण" पर सह-हस्ताक्षर किए, जिसमें एआई सिस्टम और मूल्य श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए जोखिम-आधारित तंत्र की हिमायत की गई और विश्वसनीय विकास के लिए एआई से संबंधित साइबर जोखिमों को कम करने पर वैश्विक संवाद का आग्रह किया गया।

*****